

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/313

नन्दसिंह पुत्र श्री खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री प्रेमराज योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 29.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2018 विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला - कोटा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम मण्डा की आराजी खसरा नं. 614 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि किस्म गै0मु0 पटार पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 90 दिवस (तीन माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 29.09.2015 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.04.2018 के द्वारा अपील खारिज कर दी।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा । जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई | रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया | पत्रावली का अवलोकन किया गया | उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई |
5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है | अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है | अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा माफ की जावे |
6. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था | वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है | इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है | अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे |
7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया | अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है | अपीलान्ट द्वारा जुर्माना/तावान राशि आदि जमा करा दी है | अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा |
8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है | इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी को भी प्रस्तुत करेगा | उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी को भेजी जावे | यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा | पक्षकारान दिनांक 25.03.2019 को न्यायालय नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा में उपस्थित हों |
9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा |
10. निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा